(25)

संख्या–20/5/2002–का–2/2002

प्रेषक,

राजेन्द्र भौनवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र।
3–समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

लखनऊ दिनांक 20 जुलाई, 2002

विषय–कुशल खिलाड़ियों के लिए "खेलों" तथा खेल के प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी का निर्धारण।

महोदय,

कार्मिक
अनुभाग–2

उत्तर प्रदेश (उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2002 के नियम 5 (ग) में कुशल खिलाड़ियों के लिए अंक देने की व्यवस्था की गयी है। अतएव एतद्द्वारा प्रदेश के खेलकूद विभाग से मान्यता प्राप्त "खेल" निम्नवत् हैं :–

1–आर्चरी
2–एम्योपोर एथलेटिक्स
3–बास्केट बाल
4–बाक्सिंग
5–फुटबाल
6–जिम्नास्टिक
7–हैण्डबाल
8–हाकी
9–जूडो
10–राइफल
11–रोइंग
12–स्वीमिंग
13–टेबुल–टेनिस
14–बालीबाल
15–भारोत्तोलन
16–कुश्ती
17–तलवारबाजी
18–ताइक्वाडो
19–टेनिस
20–बैडमिन्टन
21–खो–खो
22–कबड्डी

उक्त मान्यता खेलों के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, अर्न्तविश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए

निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी निर्धारित किये जाते हैं:–

1–अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता	सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन का सचिव।
2–राष्ट्रीय प्रतियोगिता	सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन अथवा राज्य एसोसिएशन के सचिव।
3–अन्तविश्वविद्यालय टूर्नामेन्ट	सम्बन्धित विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा क्रीडाओं के कोई अन्य सर्व कार्यभार अधिकारी।
4–राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद	राज्य के शिक्षा निदेशालय में स्कूल खेल/क्रीड़ा के सर्व कार्यभारी निदेशक अथवा अतिरिक्त संयुक्त या उप निदेशक।
5–राज्य प्रतियोगिता	प्रादेशिक खेलकूद संघ के सचिव।

3–उक्त मान्यता प्राप्त खेलों के अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य, विश्वविद्यालय एवं स्कूल स्तर को निम्नवत् स्पष्ट किया जा रहा है :–

1–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर	(ओलम्पिक, कामनवेल्थ, ऐशियन गेम्स, एफ्री एशियन गेम्स में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व) विश्वकप/क्रिकेट टेस्ट मैच
2–राष्ट्रीय स्तर	(उक्त प्रस्तर–1 की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को छोड़कर अन्य मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व (वरिष्ठ वर्ग में)
3–राज्य स्तर	राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (वरिष्ठ वर्ग) में प्रदेशीय टीम का प्रतिनिधित्व।
4–विश्वविद्यालय	(अन्तर विश्वविद्यालय जोनल व इससे ऊपर की प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय की टीम का प्रतिनिधित्व।
5–स्कूल	(राष्ट्रीय स्कूली चैम्पियनशिप में प्रदेशीय स्कूली टीम का प्रतिनिधित्व।

4–इस सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह "ग" भर्ती के लिए आवेदन-पत्र के साथ "कुशल खिलाड़ी" के जो प्रमाण-पत्र संलग्न किए जायेंगे वह प्रमाण-पत्र ऊपर प्रस्तर-2 में अंकित "सक्षम प्राधिकारी" के स्तर से ही जारी किए जाने पर ही वैध माने जायेंगे और उन्ही प्रमाण-पत्रों पर सम्बन्धित को लाभ अनुमन्य होगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्त प्राधिकारीगण को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

राजेन्द्र भौनवाल,

प्रमुख सचिव।

०एस०यू०पी० ए०पी० 12 सा० नियुक्ति–20–7–2007–(806)–1000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।